

## प्रेस विज्ञप्ति थाना बड़हलगंज दिनांक 08-11-2020

### गौ तरकरी के आरोप में 02 अभियुक्त 16 राशि बैल व 08 राशि गाय के साथ गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जनपद गोरखपुर एवं क्षेत्राधिकारी गोला गोरखपुर के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक श्री राणा देवेन्द्र प्रताप सिंह थाना बड़हलगंज के नेतृत्व में आज दिनांक 08.11.20 को समय 05.30 बजे सुबह उ0नि0 रामगोविन्द्र वर्मा, उ0नि0 दाता प्रसाद चौबे, हे0का0 ओमकार नाथ व का0 मनीष कुमार द्वारा शाही पैलेश होटल कस्बा बड़हलगंज गोरखपुर से एक ट्रक में गो-वध हेतु क्रूरता पूर्वक ठूस-ठूस कर लादकर ले जाये जा रहे 16 राशी बैल व 8 राशी गाय (कुल 24 राशि गोवंश) को वाहन ट्रक संख्या UP50CT0650 सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 1192/20 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व धारा 307 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। उपरोक्त पशुओं को श्री ध्यान फाउण्डेसन गाजे गढ़हा थाना गोला जनपद गोरखपुर को सुपुर्द कर चारा पानी की व्यवस्था करायी गयी।

#### गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

1. मोहम्मद शेरू पुत्र मोहम्मद मुस्तकीम नि0 नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
2. ललकू बंजारा पुत्र तौफिक नि0 पटैला थाना खुटहन जनपद जौनपुर।

#### बरामद वाहन व गोवंश का विवरण -

एक अदद ट्रक संख्या UP50CT0650 (16 राशी बैल व 8 राशी गाय सहित)

#### बरामदगी का स्थान दिनांक व समय

शाही पैलेश होटल कस्बा बड़हलगंज, थाना बड़हलगंज, गोरखपुर दिनांक 08.11.2020 समय 05.30 बजे।

#### आपराधिक इतिहास अभियुक्त

मु0अ0सं0 1192/20 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व धारा 307 भा0द0वि0 थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर (दोनो अभियुक्तों के विरुद्ध)

**घटना का विवरण-** दिनांक 08.11.20 को उ0नि0 रामगोविन्द्र वर्मा मय हमराह उ0नि0 दाता प्रसाद चौबे, हे0का0 ओमकार नाथ व का0 मनीष कुमार के देखभाल क्षेत्र में कस्बा बड़हलगंज में मामूर था कि मुखबीर खास ने सूचना दी की एक ट्रक जिसका नं0 UP50CT0650 है जिसपर गोवंश काटने के लिए लदी हुई है जो दोहरीघाट के रास्ते पटना चौराहा होते हुए जाएगी, की सूचना पर समय करीब 05.30 बजे एक अदद ट्रक संख्या UP50CT0650 जिस पर लदे 16 राशी बैल व 8 राशी गाय बरामद किये गये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 1192/20 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व धारा 307 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

#### बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राणा देवेन्द्र प्रताप सिंह थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।
2. उ0नि0 श्री रामगोविन्द्र वर्मा थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।
3. उ0नि0 श्री दाता प्रसाद चौबे थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।
4. हे0का0 ओमकार नाथ थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।
5. का0 मनीष कुमार थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।